मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 109वीं बैठक दिनांक 29.11.2004 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः अपरान्ह 3.00 बजे।
उपस्थिति

1.	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष		श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य		श्रीमती नीरा यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य		श्री जी0बी0 पटनायक, प्रमुख सचिव, कृषि
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	प्रतिनिधि	सुश्री जोहरा चटर्जी, सचिव, वित्त
5.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य		श्री एस0ए0ए0 रिजवी, निबन्धक
6.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	सदस्य	प्रतिनिधि	श्री आर0के0 तोमर,
7.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य		श्री आर0एस0 पाण्डेय कृषि निदेशक
8.	निदेशक (कृषि विपणन) कृषि विपणन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य	प्रतिनिधि	डा0 सुग्रीव शुक्ला उप निदेशक
9.	डा0 रजनीश दुबे मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव		डा0 रजनीश दुबे सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/ निर्णय
01.	मा0 परिषद की 108वीं बैठक दि0 03.09.2004 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
02.	गत 108वीं बैठक की अनुपालन आख्या।	108वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
03.	नोयडा मे प्रस्तावित पुष्प नीलामी केन्द्र सह–थोक मण्डी एंव आधुनिक फल एवं सब्जी मण्डी की स्थापना के	1.नोएडा में 6 एकड़ भूमि पर पुष्प नीलामी केन्द्र–सह थोक मण्डी तथा लगभग 2 एकड़ भूमि पर प्रशासनिक भवन की

	सम्बन्ध में कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत टी0ई0एफ0आर0 के क्रम मे अग्रेतर कार्यवाही विषयक प्रस्ताव पर विचार।	स्थापना से सम्बन्धित टी0ई0एफ0आर0 का अनुमोदन किया गया तथा 22 एकड़ भूमि पर आधुनिक फल सब्जी मण्डी बनाये जाने की टी0ई0एफ0आर0 पर सैद्धान्तिक सहमति दी गयी। 2. पुष्प नीलामी केन्द्र पर कन्सलटेन्ट की संस्तुति से सहमत होते हुए निर्णय लिया गया कि मण्डी द्वारा अपने श्रोत से निर्माण कराते हुए संचालन के लिए आउट सोर्सिंग के आधार पर उपयुक्त निजी संस्था का नियमानुसार चयन किया जाय। 3. वैल्यू एडड सेन्टर तथा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण तथा संचालन कन्सलटेन्ट की संस्तुति के अनुसार बी0ओ0टी0 के आधार पर कालान्तर में निजी क्षेत्र से कराने का निर्णय लिया गया। 4. परियोजना के अग्रेतर क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसके सदस्य प्रमुख सचिव, कृषि, प्रमुख सचिव वित्त द्वारा नामित सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी तथा निदेशक मण्डी परिषद होंगे। उक्त समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों एवं अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को अपनी बैठक में विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में बुला सकती है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964, मण्डी नियमावली 1965 तथा मण्डी समितियों की उप विधियों में पुष्प नीलामी केन्द्र को आउट सोर्स करने के सम्बन्ध में, वैल्यू एडेंड सेन्टर एवं कोल्ड स्टोरेज के बी0ओ0टी0 आधार पर संचालन के सम्बन्ध में, पुष्प नीलामी केन्द्र से सम्बन्धित लाइसेन्स के लिए तथा निर्यात में मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट के सम्बन्ध में संशोधन की सैद्धान्तिक सहमति दी गयी तथा इस सम्बन्ध में सुविचारित प्रस्ताव बनाने हेतु उच्च स्तरीय समिति को अधिकृत किया गया। 5. पुष्प नीलामी केन्द्र की डी0पी0आर0 जिसमें

		सिविल कार्य, प्लाण्ट व मशीनरी की स्थापना, विद्युत सम्बन्धी कार्य एवं पुष्प नीलामी केन्द्र आदि के संचालन के लिए फर्म के चयन के टेण्डर डाक्यूमेन्ट तथा ले–आउट, विस्तृत आर्किटेक्चरल ड्राइंग डिजाइन तथा आगणन आदि सम्मिलित होगा, तैयार कराने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से विनिश्चय किया गया कि मण्डी परिषद के पैनल में पूर्व में तकनीकी कार्यक्षमता के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये तीनों कन्सलटेन्टस मै0 ग्लोबल एग्री सिस्टम प्रा0 लि0, नई दिल्ली, मै0 सुमन फूड कन्सलटेन्ट नई दिल्ली तथा मै0 ए0एफ0 फरगूशन एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली से फाईनेन्सियल बिड प्राप्त कर न्यूनतम निविदा के आधार पर कार्रवाई की जाय।
04.	मण्डी परिषद को कृषि उत्पादों का प्रदेश एवं देश के बाहर निर्यात फैसिलीटेशन सम्बन्धी दायित्व दिये जाने एवं निकट भविष्य मे तत्सम्बन्धी क्रिया–कलापों पर विचार।	मण्डी परिषद को कृषि उत्पादों का प्रदेश एवं देश के बाहर निर्यात फैसिलीटेशन सम्बन्धी दायित्व दिये जाने के लिए कृषि उत्पादन मण्डी परिषद 1964 की धारा 26-L(iv) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन प्रस्तावानुसार किये जाने की संस्तुति की गयी तथा निर्णय लिया गया कि मण्डी परिषद में कृषि विपणन एवं निर्यात के विशेषज्ञ सलाहकारों का पैनल चयनित कर बाजार का अध्ययन कराया जाय। रोड शो, क्रेता विक्रेता सम्मेलन सेमीनार/ वर्कशाप/ प्रशिक्षण आदि गतिविधियों के आयोजन का भी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस निमित्त वर्ष 2004–05 के बजट में रू0 25.00 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया। तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्रवाई के लिए निदेशक, मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डी परिषद द्वारा मात्र निर्यात फैसिलिटेशन किया जायेगा एवं सीधे निर्यात नहीं किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव जो एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 90–91 पर अंकित है कार्यवृत्त का अंश माना जाय।
05.	(क) लखनऊ एंव सहारनपुर में स्थापित मैंगो पैक हाउस एवं राईपनिंग चैम्बर के संचालन पर	(क) सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि लखनऊ तथा सहारनपुर में मैंगो पैक हाउस के विकेन्द्रीकृत संचालन के लिए सोसाईटी

	विचार।	रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत दो समितियों का पंजीकरण कराया जाय तथा सोसाईटी के माध्यम से मैंगो पैक हाउस का संचालन किया जाय। इस क्रम में मैंगो पैक हाउस की सोसाईटी हेतु प्रस्तुत स्मृति पत्र व नियमावली जो कार्यसूची के पृष्ठ संख्या 156 से 162 पर अभिलिखित है को भी अनुमोदित किया गया। आम के विपणन के लिए व्यापारियों से एडवांस टाइअप करने के सम्बन्ध में यह निश्चित हुआ कि प्रदेश के बाहर चण्डीगढ़, जयपुर, बैंगलौर, चैन्नई, मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद व हैदराबाद शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर शिप तय की जाय। उक्त के निमित्त अग्रेजी एवं एक क्षेत्रीय भाषा के प्रतिष्ठित स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन जारी कर सम्बन्धित फर्मो का चयन किया जाय। इसी के साथ लखनऊ और सहारनपुर मैंगो पैक हाउस के निकटवर्ती उत्तर प्रदेश के नगरों में भी विज्ञापनोंपरान्त डिस्ट्रीब्यूटर चयनित किये जाएँ। मैंगो पैक हाउस तथा राइपनिंग चैम्बर की योजना क्रियान्वित करने एवं अन्तिम रूप देने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त को अधिकृत किया गया।
	(ख) रहमान खेड़ा लखनऊ एवं नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर में मैंगो पैक हाउस के साथ निर्मित राइपनिंग चैम्बर के संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था।	(ख) रहमान खेड़ा लखनऊ एवं नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर में मैंगो पैक हाउस के साथ निर्मित राइपनिंग चैम्बर के संचालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई के दृष्टिगत दोनों को समेकित इकाई के रूप में एक ही संस्था के द्वारा संचालित किये जाने पर सहमति हुई। प्रस्ताव तथा उसके साथ संलग्न समिति की संस्तुतियों तथा संशोधित अनुबन्ध का प्रस्तावित मसौदा जो एजेण्डा पुस्तिका पृष्ठ 163–174 पर अंकित है, का भी अनुमोदन किया गया।
06.	मण्डी शुल्क अपवंचन को रोके जाने के सम्बन्ध मे कतिपय उपायों पर विचार।	मण्डी शुल्क अपवंचन को रोके जाने एवं व्यापार कर विभाग से बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रस्तावानुसार मण्डी समिति की उपविधियों के लाइसेन्स के प्रारूप प्रपत्र संख्या 20 (घ) में वर्णित शर्तो में नई शर्त संख्या–22 बढ़ाने तथा कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 के नियम 71 के संशोधन का अनुमोदन किया गया। उक्त प्रस्ताव जो एजेण्डा पुस्तिका

		के पृष्ठ 175–176 पर अंकित है, कार्यवृत्त का अंश समझा जाय।
7.	कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हापुड़ की उपमण्डी स्थल, गढ़मुक्तेश्वर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार।	कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हापुड़ के उपमण्डी स्थल, गढ़मुक्तेश्वर के निर्माण हेतु जिलाधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर गढ़मुक्तेश्वर (जिला गाजियाबाद) में उप मण्डी स्थल की स्थापना किये जाने हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।
8.	मण्डी समिति, बरीपाल तथा मण्डी समिति, कानपुर के पुनर्गठन पर विचार।	मण्डी समिति, बरीपाल, मण्डी समिति, कानपुर के प्रस्ताव तथा जिलाधिकारी कानपुर नगर की संस्तुति के दृष्टिगत प्रस्ताव के अनुरूप क्रमशः (1) नगर पालिका परिषद, घाटमपुर जिला कानपुर नगर के भीतर का समस्त क्षेत्र (2) विकास खण्ड घाटमपुर जिला कानपुर नगर की 6 न्याय पंचायत सर्किलों के भीतर का समस्त क्षेत्र, अर्थात– 1. स्योंदी ललईपुर 2. भदरस 3. बेंदा 4. दौलतपुर 5. घुघुवा 6. रेऊना (3) विकास खण्ड पतारा, जिला कानपुर नगर की 7 न्याय पंचायत सर्किलों के भीतर का समस्त क्षेत्र, अर्थात– 1. रठिगांव 2. पतारा 3. हथेही, 4. स्योंढ़ारी 5. तिलसड़ा, 6. पड़री लालपुर 7. इटर्रा मण्डी समिति बरीपाल से निकालकर मण्डी समिति कानपुर में सम्मिलित करने तथा घाटमपुर को कानपुर मण्डी की उप मण्डी घोषित करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–8(1)(ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति की जाए।
9.	नवीन मण्डी स्थल, सिरसागंज के कतिपय भू–खण्डों को अधिग्रहण से मुक्त करने पर विचार।	जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की संस्तुति के दृष्टिगत नवीन मण्डी स्थल सिरसागंज हेतु ग्राम भावली, तहसील शिकोहाबाद की अधिगृहीत भूमि के गाटा संख्या– 111 में से श्रीमती खिलौना देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह की 0.413 हेक्टेयर भूमि अर्जन मुक्त किये जाने का निश्चय किया गया। प्रश्नगत भूमि को भूस्वामिनी के पक्ष में गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट 1895 (एक्ट नं0 15 आफ 1895) के अन्तर्गत शासन द्वारा रिकन्वेंस विलेख निष्पादित कर अवमुक्त किये जाने की संस्तुति शासन को

		करने का भी निर्णय हुआ।
10.	प्रोग्रामर एवं उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के दृष्टिगत भर्ती की कार्यवाही किसी अनुभवी संस्था से कराने के सम्बन्ध मे विचार।	प्रोग्रामर एवं उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की अधिक संख्या के दृष्टिगत लिखित परीक्षा की कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
11.	वेतनमान का न्यूनतम् प्राप्त कर रहे परिषद/मण्डी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर विचार।	वेतनमान का न्यूनतम् प्राप्त कर रहे परिषद/मण्डी समिति में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तथा अन्य परिलब्धियों को प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। उक्त प्रस्ताव कार्यसूची के पृष्ठ 204 में अभिलिखित है जिसे कार्यवृत्त का अंश समझा जाय।।
12.	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व0 ओम प्रकाश तिवारी (भू0पू0 वर्कचार्ज कर्मी) को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने के सम्बन्ध मे विचार।	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व0 ओम प्रकाश तिवारी (भू0पू0 वर्कचार्ज कर्मी) को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त इस आधार पर कि यह प्रकरण उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली 1974 से आच्छादित नहीं होता है तथा इस प्रकार की पूर्व नियुक्तियों को दृष्टांन्त नहीं माना जा सकता है, प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
13.	मण्डी समितियों की आय (मण्डी शुल्क एवं लाईसेन्स शुल्क) से परिषद मुख्यालय को अंशदान के प्रेषण की सीमा में संशोधन का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर विचार।	मण्डी समितियों की आय (मण्डी शुल्क एवं लाईसेन्स शुल्क) से परिषद मुख्यालय को अंशदान के प्रेषण की सीमा में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। तद्नुसार मण्डी अधिनियम 1964 में संशोधन के लिए शासन को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया। कार्यसूची के पृष्ठ 210–212 पर अंकित प्रस्ताव कार्यवृत्त का अंश समझा जायेगा।
14.	वित्तीय वर्ष 2004–05 में परिषद निधि के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त व्यय के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर विचार।	वित्तीय वर्ष 2004–05 में परिषद निधि के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त व्यय के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर क्रमशः खलिहान/ अग्निकाण्ड/ व्यक्तिगत शारीरिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु रू0 210.00 लाख, प्रशिक्षण व्यय हेतु रू0 15.00 लाख तथा किसान मण्डी भवन/ आवासीय कालोनी के सिविल अनुरक्षण हेतु रू0 145.00 लाख के कुल संशोधित प्राविधान का अनुमोदन किया गया।
15.	वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु सम्पर्क	वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु सम्पर्क मार्ग के

	मार्ग के निर्माण/मरम्मत मद में स्वीकृत बजट प्राविधान में परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार।	निर्माण/मरम्मत मद में स्वीकृत बजट में प्रस्तावानुसार संशोधन करते हुए नवीन सम्पर्क मार्गो हेतु रू0 150.00 करोड़ तथा मार्ग मरम्मत के लिए रू0 50.00 करोड़ के प्राविधान की स्वीकृति प्रदान की गयी।
16.	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर विचार।	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों में कार्यरत 06 कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम हेतु रू0 2.65 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1.	उप निदेशक (सिविल)/(विद्युत/यांत्रिक) का पदनाम उप निदेशक (निर्माण)/(विद्युत/यांत्रिक)/ सम्भागीय उप निदेशक (निर्माण) किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	उप निदेशक (सिविल) का पदनाम उप निदेशक (निर्माण) किए जाने का अनुमोदन किया गया।
2.	मण्डी क्षेत्र प्रतापगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत तहसील पट्टी को उप मण्डी स्थल घोषित किये जाने पर विचार।	व्यापारियों की संख्या कम होने एवं आय न्यून होने के कारण वायबिल्टी न होने के आधार पर प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

ह0/–
(डा0 रजनीश दुबे)
मण्डी निदेशक
सदस्य/ सचिव

अनुमोदित
ह0/–

(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश